ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा – 846 004

Adv. No. 002 /2021/CET-B.Ed.-2021

बिहार राज्य स्तरीय बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा – 2021(CET-B.Ed.-2021)

बी०एड० एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन संबंधी अति-आवश्यक सार्वजनिक सूचना

(Public Notice)

दो वर्षीय बी० एड० एवं शिक्षा शास्त्री में सत्र 2021-23 में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थियों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 (CET-B.Ed.-2021) में सम्मिलित होने हेतु एतद् द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र www.bihar-cetbed-lnmu.in पर भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि 11.04.2021 से 07.05.2021 तक निर्धारित है। इससे सम्बंधित विवरणिका, अर्हता, सम्बंधित निर्देश ऑनलाइन प्रक्रिया एवं अन्य विशेष जानकारी उपरोक्त वेबसाइट्स पर देखा जा सकता है।

सूचनीय है कि राज्यपाल सचिवालय पटना द्वारा पारित Statute for Conducting Combined Entrance Test for B.Ed. Colleges affiliated to State Universities of Bihar के अनुसार Bihar State Universities Act, 1976 (amended upto date), Patna University Act 1976, Nalanda Open University Act, 1995 एवं Aryabhatta Knowledge University Act, 2008 के अंतर्गत अंगीभूत/संबंद्धता प्राप्त तथा NCTE से मान्यता प्राप्त सभी बी०एड० एवं शिक्षा शास्त्री कॉलेजों में नामांकन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के काउंसलिंग के आधार पर किया जायगा।

महामहिम राज्यपाल के कार्यालय की अधिसूचना Memo No.-BSU (Regulation)-16/2015-315/GS(1) दिनांक 25/02/2021 एवं Memo No.-SU-18/2019-313/GS(1) दिनांक 24/02/2021 द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2021 (CET-B.Ed.-2021) का आयोजन एवं इसमें सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग का दायित्व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सौंपा गया है।

उपर्युक्त अधिसूचना एवं परिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सन्दर्भ में सभी संबंधित संस्थानों एवं बी०एड० एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन लेने वाले सभी अभ्यर्थियों, उनके अभिवावकों एवं जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने, तदुपरांत काउंसलिंग आयोजित कर नामांकन कराने का शासनादेश (Mandate), मात्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को प्राप्त है। इससे भिन्न अगर अन्य कोई संस्थान बी०एड० एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2021-23 में अपने स्तर से नामांकन या काउंसेलिंग आयोजित करता है तो इसे वैध नहीं माना जायेगा एवं उनके विरुद्ध उपयुक्त विधिसम्मत करवाई की जाएगी।

-कुलपति के आदेश से

प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता
राज्य नोडल पदाधिकारी
CET-B.Ed.-2021

Kumar 9/4/21

अशोक 09.4.2021